49

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. -------- निगरानी
2011 R-572-II/2011

रामनारायण पुत्र कान्हा जाति ब्राम्हण आयु

81 वर्ष निवासी ग्राम हथवारी तहसील

बड़ौदा व जिला श्योपुर ।म.प्र.।

---- प्रार्थी

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1- गौरीशंकर पुत्रकान्हा जाति ब्राम्हण निवासी

ग्राम ललितपुरा तहसील बड़ौदा जिलाश्योपुर

---असल प्रतिप्रार्थी

2- कांती पुत्री कान्हा पत्नी राधाकिशन फर्म

राधाकिशन त्रिलोकचन्द आड़तिया धानमण्डी

कोटा राजस्थान

रामकन्या पुत्री कान्हा पत्नी महावीर प्रसाद

फौत वारिसान

3- शशि पुत्री महावीर

4- सुरेशचन्द

5- जगदीश

6- गनेश पुत्रगण महावीर

7- भंवरीबाई पुत्री कान्हा विधवा पत्नी

माधौलाल फौत वारिसान

7- बृजमोहन पुत्र माधौलाल जाति ब्राम्हण

निवासी ललितपुरा तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर

।म.प्र.।

महिला केसर पुत्री कान्हा पत्नी महावीरप्रसाद

मृत वारिसान

8- महावीरप्रसादपुत्र नामालुम जाति ब्राम्हण

9- सीताराम पुत्र महावीरप्रसाद जाति ब्राम्हण

10- राधेश्याम पुत्र महावीरप्रसाद जातिब्राम्हण

निवासीगण ब्रम्हपुरा अंताकुआ जिला कोटा

राजस्थान

11- महिला मूली पुत्री कान्हा पत्नी बजरंगलाल

निवासी मकान नम्बर- 1075 द्वितीय महावीरनगर

कोटा राजस्थान

12- महिला शान्ती पुत्री कान्हा पत्नी मूलचन्द

जाति ब्राम्हण निवासी हथाड़ी तहसील पीपल्दा

पीपल्दा जिलाकोटा ।राजस्थान

---तरतीबी प्रतिप्रार्थीगण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-2-16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्र0क0 87/10–11 निगरानी में पारित आदेश दि0 10–3–11 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पेश हुई है। 2/ हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम पीपल्दा की भूमि सर्वे कमांक 18, 60, 98 कुल किता 3 कुल रकबा 15 वीघा 13 विसवा एंव ग्राम हथनारी की भूमि सर्वे कमांक 3 रकबा 2 वीघा एंव सर्वे नंबर 82 रकबा 12 वीघा 10 विसवा कुल किता 2 कुल रकबा 14 वीघा 10 विसवा कान्हा के नाम थी जिनकी मृत्यु उपरांत आवेदकगण एंव अनावेदकगण के नाम भूमि हुई। महिला केसर एंव महिला भूली, शॉति ने तसीलदार से बटवारे की मांग की। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28–11–89 से बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व महिला केसर, भूली, शांति, रामकन्या , भॅवरीवाई ने एस0डी0ओ0 श्योपुर के समक्ष अपील कमांक 15/1989–90 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 15–2–1991 से अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसीलदार को पुनः बटवारा करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अपील हुई ,	

शाक्षेमुरवा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.

प्रकरण क्रमांक 572–दो/2011 अपील जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों अभि.के हस्ता.
---	---	

किन्तु सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु वापिस ली गई। इसके वाद अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 15/89–90 प्रस्तुत होने पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–2–91 को स्थिर रखा गया।

उप तहसील न्यायालय बड़ौदा में प्रकरण वापिस आने पर प्रकरण क्रमांक 14/88–89 अ 27 में पुनः कार्यवाही हुई एंव पक्षकारों की साक्ष्य एंव सुनवाई करके आदेश दिनांक 28–6–1994 से बटवारा किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 22/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–7–10 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 28–6–1094 निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु वापिस किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 87/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 10–3–11 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 10–7–2010 स्थिर रखा गया।

3/ विचार योग्य है कि तहसीलदार श्योपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 14/88–89 अ 27 में पारित आदेश दिनांक 28–11–89 से किये गये

पुनः बटवारे के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील होने पर प्र0क0 15/89-90 में पारित आदेश दिनांक 15-2-91 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 28-11-89 निरस्त हुआ एंव हितबद्ध पक्षकारों की तहसील ने पुनः सुनवाई कर ली एंव बचाव का अवसर देते हुये विधिवत् बटवारा आदेश दिनांक 28-6-1994 पारित किया गया, तब अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने अपील प्रकरण कमांक 22/07-08 में कौनसी ऐसी विसंगतियां पाई कि आदेश दिनांक 10.7.2010 से पक्षकारों के बीच तीसरी वार बटवारा करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित लाजमी हुआ। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.7. 2010 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने मात्र असमान्य बटवारा करना मानकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है एंव पक्षकारों के बीच वर्ष 88-89 से चल रही मुकदमेवाजी को व्यर्थ पढ़ाया है एंव आज 27 वर्ष तक पक्षकार मामलेवाजी में उलझते जा रहे हैं जो न्यायदान की अपेक्षा के वाहर है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने भी आदेश दिनांक 10-3-11 पारित करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा प्र0क0 22/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-7-2010 तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 87/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-3-11 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 572–दो/2011 अपील जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों अभि.के हस्ता.
---	---	

4/ जहां तक अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा असमान्य बटवारे के सम्बन्ध में दिये गये तर्क का प्रश्न है? तहसीलदार व्दारा प्र0क0 14/1988–89 अ 27 में पारित आदेश दि. 28–6–1994 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने प्रत्येक हिस्सेदार को उसके हिस्से में प्राप्त होने वाली आनुपातिक भूमि प्रदान की है यदि अनावेदकगण अधिक भूमि में स्वत्व चाहते हैं तब उन्हें स्वत्व का विनिश्य सक्षम न्यायालय से कराना होगा।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 87/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–3–11 एंव अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा प्र0क0 22/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–7–2010 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव तहसीलदार उप तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 14/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 28–6–1994 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य